(64)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 129-एक/2008 – विरूद्ध आदेश दिनांक 15-10-2007 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 774/2005-06 अपील

मुसाफिर पुत्र गफूर मुसलमान
ग्राम पमरिया तहसील सिहावल
जिला सीधी मध्य प्रदेश
---आवेदक

विरूद्ध

1- सुखई वक्त पुत्र सुमान वक्स
2- नेववत पुत्र जोखई
3- हसन वक्स पुत्र जोखई
4- जयमूरत पुत्र जोखई
5- अलीमुद्दीन पुत्र मकबूल
6- अजमुल्ला पुत्र जगड़
सभी ग्राम पमरिया तहसील सिहावल
जिला सीधी मध्य प्रदेश
---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 07-08 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 774/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2007 के विरुद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार सिहावल को आवेदन देकर ग्राम पथरिया की भूमि कुल किता 17 के रकबे में से अंश रकबा रकबा 0.53 एकड़ पर कब्जा दर्ज करने की मांग की। तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 15 अ 6 अ/ 04-05 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 29-5-2005 पारित किया तथा रकबा 0.53 एकड़ पर सुखई वक्स पुत्र खुमान वक्स का, नबूबत वक्स, हसन वक्स, जमूरत वक्स पुत्र जोखई वक्स एंव अंश रकबा 0.25 ए. पर अलीमुद्दीन पुत्र मखबूल वक्स सा. पथरिया का कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-9-05 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण क्रमांक 13/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-4-2006 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 774/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2007 से अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदकगण ने तहसीलदार सिहावल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके ग्राम पथरिया की भूमि सर्वे क्रमांक 324, 325, 2605, 2606, 2607, 2608,ख 2609, 2610, 2611, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, कुल किता 17 के कुल रकबे में से अंश रकवे पर कब्जा दर्ज किये जाने की मांग करते हुये बताया कि वह उक्त भूमि के अंश भाग पर काविज होकर खेती करते आ रहे है मौके पर उनका कब्जा है इसलिये खसरे में उनका कब्जा

अंकित किया जाय। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये तथा मौके पर काविज कास्त पाने के कारण ग्राम पथरिया की कुल किता. 17 के रकबा 0.53 एकड़ पर सुखई वक्स पुत्र खुमान वक्स का, नबूबत वक्स, हसन वक्स, जमूरत वक्स पुत्र नोखई वक्स एंव अंश रकबा 0.25 ए. पर अली मुद्वीन पुत्र मखबूल वक्स सा. पथरिया का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया है। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास व्दारा तहसील न्यायालय के प्रकरण का परीक्षण करने पर किसी प्रकार की कमी न पाने के कारण आदेश दिनांक 27-4-2006 से तहसीलदार सिहावल के आदेश को पुष्टिकृत किया है इसी प्रकार अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 15-10-2007 पारित करते समय दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित पाकर हस्तक्षेप नहीं किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 774/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर